संख्या-एस0एस0निर्देश-सामान्य-2015-16/ 1329 /वाणिज्य कर

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(संख्या अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:03 मार्च 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

विषय:- जनपद में सरकारी खरीद करने वाले एवं ठेकेदारों के माध्यम से संविदा के अन्तर्गत कार्य कराने वाले राजकीय विभागों / स्थानीय निकायों / कार्यदायी संस्थाओं को वाणिज्य कर विभाग का TDN (Tax Deduction No) दिलाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित पत्र संख्या 251/11-2-6-9(65)/2016 दिनांक 01.03.2016 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने जोन के अन्तर्गत आने वाले समस्त जिलाधिकारियों से व्यक्तिगत रुप से मिलकर उन्हें उक्त पत्र की प्रति प्राप्त कराते हुए उनसे समस्त राजकीय विभागों / स्थानीय निकायों / कार्यदायी संस्थाओं को TDN (Tax Deduction No) प्राप्त करने तथा उनके द्वारा की गयी खरीद एवं कार्य संविदा के अन्तर्गत किये अथवा कराये गये कार्यो के भुगतान पर नियमानुसार स्रोत पर कर की कटौती (TDS) करते हुए वाणिज्य कर विभाग के लेखा शीर्ष में जमा कराने हेतु निर्देश जारी कराना सुनिश्चित करें तथा जिलाधिकारी महोदय से मासिक समीक्षा बैठक के दौरान इनका अनुश्रवण एवं समीक्षा करने का अनुरोध भी कर लें।

यह पत्र कमिश्नर के निर्देशों के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उप कमिश्नर, वाणिज्य कर
इच्छा समस्त 75 जिलो के DM को कॉपी

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–251 / 11–2–16–9(65) / 2016

03/03

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
अनु सचिव अधिकारी
संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग
उत्तर प्रदेश शासन

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0–2 लखनऊः दिनांक 01 मार्च ~~फरवरी~~, 2016

विषयः- जनपद में सरकारी खरीद करने वाले एवं ठेकेदारों के माध्यम से संविदा के अन्तर्गत कार्य कराने वाले राजकीय विभागो / स्थानीय निकायों / कार्यदायी संस्थाओं को वाणिज्य कर विभाग का TDN (Tax Deduction No) दिलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 34 एवं इसके अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक राजकीय विभाग/ स्थानीय निकाय / कार्यदायी संस्था द्वारा माल की खरीद अथवा निर्माण कार्य के संबंध में भुगतान करते समय भुगतान करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि भुगतान की जाने वाली धनराशि का 4 % स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस0) के रूप में करके वाणिज्य कर के लेखा शीर्ष / उप शीर्ष में चालान से जमा करेंगें। इस हेतु जनपद के सभी राजकीय विभागों/ स्थानीय निकायों /कार्यदायी संस्थाओं को वाणिज्य कर विभाग से TIN / TDN प्राप्त करना आवश्यक है। TDN प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यन्त सरल है तथा राजकीय विभागो / स्थानीय निकायों / कार्यदायी संस्थाओं को TDN प्राप्त करने के लिए वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट comtax.up.nic.in पर आनलाईन फार्म–उन्तीस भरकर अपलोड करना है तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा उसी दिन TDN फार्म-तीस में निर्गत कर दिया जायेगा। राजकीय विभागों/ स्थानीय निकायों / कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्रोत पर कर की कटौती की धनराशि अगले माह की 20 तारीख तक राजकीय कोषागार में जमा करनी होगी एवं उसका त्रैमासिक विवरण जमा के चालान सहित फार्म –पच्चीस में विभाग में दाखिल करना होगा। यह फार्म–पच्चीस भी आनलाईन उपलब्ध है।

2- अतः अनुरोध है कि राजकीय विभागो/ स्थानीय निकायों / कार्यदायी संस्थाओं को उपरोक्तानुसार TDN प्राप्त करने तथा उनके द्वारा की गयी खरीद एवं कार्य संविदा के अन्तर्गत किये / कराये गये कार्य के भुगतान पर नियमानुसार स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस0) करते हुए वाणिज्य कर विभाग के लेखा शीर्ष / उप शीर्ष में जमा करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। मासिक समीक्षा बैठक के दौरान इसका अनुश्रवण एवं समीक्षा भी अपने स्तर से करें।

भवदीय

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

P-COPY
SO कमि0 (LAW)
03/03/16
SO-IBJC
03.03.2016
4461
JD (HARDOI)
3.3.16
ACCT(V)

AP.GO 2016